

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग
क्रमांक:प.8(क)(19)नियम / डीएलबी / 18 / ५८७५

जयपुर, दिनांक: २१/०२/१८

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 320 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नगरपालिका रूपवास के दिन प्रतिदिन के कार्यों को सम्पादित करने के लिए निम्नांकित समिति को अधिकृत किया जाता है:-

- (i). उपखण्ड अधिकारी रूपवास (ii). अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रूपवास,
- (iii). वरिष्ठतम लेखाकर्मी नगरपालिका रूपवास (यदि नगरपालिका में लेखाकर्मी नहीं हो तो उपखण्ड कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मी)।

राजस्थान नगरपालिका (लेखा) नियम, 1963 के नियम 7 के अन्तर्गत एक लाख रुपये से अधिक के भुगतान हेतु चैक पर हस्ताक्षर करने के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी को संयुक्त रूप से अधिकृत किया जाता है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:प.8(क)(19)नियम / डीएलबी / 18 / ५८७६ - ५८८५ दिनांक: २१/०२/१८

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
02. जिला कलेक्टर, भरतपुर।
03. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग भरतपुर।
04. उपखण्ड अधिकारी, रूपवास।
05. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, रूपवास।
06. समस्त अधिकारीगण निदेशालय।
07. प्रौद्योगिकी निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी